International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048 9458

सिरसा जिले में सूक्ष्म, लघु उद्यमों की आय एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के प्रभाव का एक अध्ययन

डॉ. विष्णु भगवान
प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग, चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा

हेमंत शर्मा
शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, चौ.देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा

सारांश

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) भारत सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को वित्तीय सहायता प्रदान करना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। यह योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह विशेष रूप से उन छोटे व्यवसायों को लक्षित करती है, जो बैंकिंग प्रणाली के दायरे में नहीं आते थे और अक्सर स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे। यह योजना "मुद्रा" नामक संस्था के माध्यम से कार्य करती है, जिसका मुख्य कार्य वित्तीय संस्थानों को रिफाइनेंस करना और छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय मदद सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार करने वालों को बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान किया जाता है। इसे तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है: ''शिशु'' (50,000 तक), ''किशोर'' (50,001 से 5 लाख तक) और ''तरुण'' (5 लाख से 10 लाख तक) यह संरचना उद्यमियों की विभिन्न चरणों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है, जैसे कि नया व्यवसाय शुरू करना, मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करना या उपकरण और कच्चे माल की खरीद। इस योजना के तहत ऋण का उपयोग परिवहन, खुदरा, निर्माण, सेवा क्षेत्र और अन्य लघु उद्योगों में किया जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन सिरसा जिले के संदर्भ में इस योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करता है।

मुख्य शब्द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, स्वरोजगार, आय वृद्धि, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, सिरसा जिला, ग्रामीण विकास, विपणन सहयोग।

सिरसा जिले का भौगोलिक परिचय

यह भाहर हिसार से पश्चिम दिशा में 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे प्राचीन समय में सरसुती के नाम से भी जाना जाता था। यहां का इतिहास प्राचीन एवं गौरवमय है। धन वैभवता कि बहुलता के कारण यह बाहरी आक्रमणकारियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा हैं। तैमूर लंग, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का भी ि ाकार रहा। सिरसा में उष्णकटिबंधीय जलवायु रहती है। यहां गर्मी, बरसात व सर्दी तीनों मौसम का आनंद उठाया जा सकता है।

IJARMT
International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048 9458

2011 में, सिरसा की जनसंख्या 1,295,189 थी, जिसमें पुरुष और महिला क्रमशः 682,582 और 612,607 थे। 2001 की जनगणना में, सिरसा की जनसंख्या 1,116,649 थी, जिसमें पुरुष 593,245 थे और भोष 523,404 महिलाएं थीं। सिरसा जिले की जनसंख्या हरियाणा की कुल जनसंख्या का 5.11 प्रतिशत है। 2001 की जनगणना में, सिरसा जिले का यह आंकड़ा हरियाणा की जनसंख्या का 5.28 प्रतिशत था। 2001 के अनुसार जनसंख्या की तुलना में जनसंख्या में 15.99 प्रतिशत का परिवर्तन हुआ था। भारत की पिछली जनगणना 2001 में, सिरसा जिले ने 1991 की तुलना में अपनी जनसंख्या में 23.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। 2011 के लिए सिरसा जिले का घनत्व 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। 2001 में, सिरसा जिले का घनत्व 261 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। सिरसा जिला 4,277 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का प्रशासन करता है। 2011 में सिरसा की औसत साक्षरता दर 2001 के 60.60 की तुलना में 68.82 थी। अगर लिंग के हिसाब से देखा जाए तो पुरुष और महिला साक्षरता क्रमशः 76. 43 और 60.40 थी। 2001 की जनगणना के लिए, सिरसा जिले में समान आंकड़े 70.10 और 49.90 थे। सिरसा जिले में कुल साक्षर 782,897 थे जिनमें से पुरुष और महिला क्रमशः 456,968 और 325,929 थे। 2001 में, सिरसा जिले के जिले में 367,966 थे।

यह 2001 की जनगणना के 882 के आंकड़े की तुलना में प्रति 1000 पुरुष पर 897 था। जनगणना 2011 निदेशालय की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार भारत में औसत राष्ट्रीय लिंग अनुपात 940 है। 2011 की जनगणना में, बाल लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के आंकड़ों के प्रति 1000 लड़कों पर 816 लड़कियों के आंकड़े की तुलना में प्रति 1000 लड़कों पर 862 लड़कियां हैं। 2001 की जनगणना के 122,900 के मुकाबले 0—6 वर्ष से कम आयु के कुल 157,667 बच्चे थे। कुल 157,667 में से पुरुष और महिला क्रमशः 84,684 और 72,983 थे। जनगणना 2001 के 816 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात 862 था। 2011 में, 0—6 के तहत बच्चों ने 2001 के 11.01 प्रतिशत की तुलना में सिरसा जिले में 12.17 प्रतिशत का गठन किया। पिछली जनगणना की तुलना में इसमें 1.16 प्रतिशत का शुद्ध परिवर्तन हुआ था।

तालिका 1: *2011 में आबादी के आकार के अनुसार आबाद गांवों की संख्या और प्रतिशत*

क्र.सं.	सी.डी. ब्लॉक	कुल आबाद गांवों की संख्या	कुल ग्रामीण जनसंख्या	पुरुष	महिलाएं
1	ओढा	40	106,120	55,866	50,254
2	डबवाली	50	167,176	87,841	79,335
3	बडागुढा	47	114,445	60,128	54,317
4	नाथूसरी चोपटा	56	163,943	86,699	77,244

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048 9458

5	सिरसा	53	166,227	87,844	78,383
6	रानियां	47	132,162	69,450	62,712
7	ऐलनाबाद	34	125,868	66,349	59,519
कुल		**327**	**975,941**	**514,177**	**461,764**

स्त्रोतः 2011 की जनगणना

आरेख 1: *2011 में आबादी के आकार के अनुसार आबाद गांवों की संख्या और प्रतिशत*

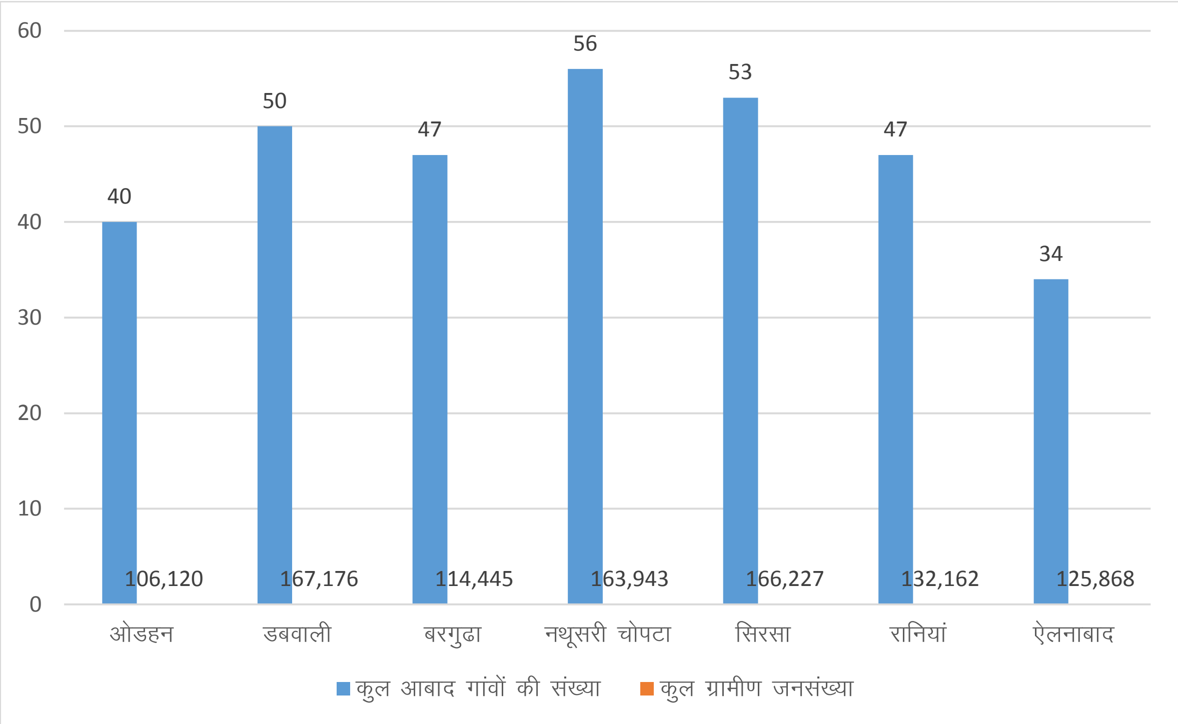

स्त्रोतः उपरोक्त तालिका 1

यह तालिका 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सी.डी. ब्लॉकों के अंतर्गत आबाद गांवों की संख्या और उनकी कुल ग्रामीण जनसंख्या को दर्शाती है। इसमें सिरसा जिले के सात ब्लॉकों (ओडहन, डबवाली, बरगुढा, नथूसरी चोपटा, सिरसा, रानियां और ऐलनाबाद) को शामिल किया गया है। तालिका के अनुसार, कुल 327 आबाद गांवों में 9,75,941 लोगों की ग्रामीण जनसंख्या पाई गई, जिसमें 5,14,177 पुरुष और 4,61,764 महिलाएं हैं। डबवाली ब्लॉक में सबसे अधिक 50 गांव और 1,67,176 की जनसंख्या है, जबकि ऐलनाबाद ब्लॉक में सबसे कम 34 गांव और 1,25,868 की जनसंख्या दर्ज की गई है। सिरसा ब्लॉक में 53 गांवों के साथ 1,66,227 लोगों की जनसंख्या दर्ज की गई, जो इस जिले में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। नथूसरी चोपटा ब्लॉक में सबसे अधिक 56 गांव हैं और जनसंख्या 1,63,943 है। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक ब्लॉक की ग्रामीण जनसंख्या और गांवों की संख्या भिन्न है और यह जनसंख्या का संतुलन एवं वितरण को उजागर करती है।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048 9458

मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाले व्यावसायिक क्षेत्र और सेवाएं

मुद्रा (सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी) योजना को विभिन्न क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह योजना व्यवसाय क्षेत्रों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है, जो समावेशिता और व्यापक–आधारित विकास सुनिश्चित करती है, विशेष रूप से बिना बैंक वाले और कम सेवा वाले समुदायों के लिए। मुख्य रूप से, यह योजना विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों में लगे व्यवसायों पर केंद्रित है। विनिर्माण में, यह खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, कपड़ा उत्पादन, फर्नीचर बनाने और हस्तशिल्प जैसे छोटे पैमाने के उद्योगों का समर्थन करता है, जो ग्रामीण और अर्ध–शहरी अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। खुदरा स्टोर, थोक व्यापारी और स्थानीय आपूर्तिकर्ता जैसे व्यापारिक व्यवसाय भी इसके दायरे में आते हैं, जो स्थानीय वाणिज्य और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देते हैं। सेवा क्षेत्र, जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस योजना का एक प्रमुख लाभार्थी है। इसमें मरम्मत की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, खानपान सेवाएँ, ट्रैवल एजेंसियाँ और परिवहन सेवाएँ शामिल हैं, जिनमें ऑटोरिक्शा और ट्रक जैसे माल और यात्री वाहन किराए पर लेने वाले व्यवसाय भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मुद्रा योजना में उभरते क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी–सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) और समुदाय–आधारित पहल जैसे ट्यूशन सेंटर और स्वास्थ्य सेवा सेवाओं के लिए सहायता शामिल है। कृषि से जुड़ी गतिविधियाँ जैसे डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन को भी सहायता दी जाती है, ग्रामीण आजीविका और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में उनके महत्व को पहचानते हुए। इसके अलावा, पारंपरिक शिल्प और उत्पादों में लगे कारीगरों और छोटे पैमाने के उद्यमियों को सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। तीन श्रेणियों– शिशु, किशोर और तरुण के तहत अनुरूप वित्तीय उत्पाद प्रदान करके मुद्रा योजना यह सुनिश्चित करती है कि विकास के विभिन्न चरणों में व्यवसायों को उचित वित्तीय सहायता मिले। इस व्यापक कवरेज के माध्यम से, यह योजना न केवल उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देती है बल्कि गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक लक्ष्यों को भी संबोधित करती है, जो अंततः भारत के समावेशी विकास एजेंडे में योगदान देती है। निम्नलिखित व्यावसायिक गतिविधियों और सेवाओं की एक सूची है जो मुद्रा ऋण लेने के लिए पात्र हैं:

- उद्यमी जो माल और यात्रियों के परिवहन के लिए परिवहन वाहन खरीदते हैं जैसे ऑटो–रिक्शा, तिपहिया, छोटे माल परिवहन वाहन, टैक्सी, ई–रिक्शा आदि।
- मुद्रा लोन ट्रैक्टर, पावर टिलर, ट्रैक्टर ट्रॉली और टू–व्हीलर खरीदने जैसे कमर्शियल उद्देश्यों के लिए लिया जा सकता है।

- सैलून, व्यायामशाला, ब्यूटी पार्लर, सिलाई की दुकानें, बुटीक, ड्राई क्लीनिंग, दवा की दुकानें, साइकिल और मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकानें, कूरियर एजेंट, डीटीपी और फोटोकॉपी सुविधाएं आदि व्यवसाय मुद्रा योजना के तहत ऋण ले सकते हैं।
- वह व्यक्ति जो आचार बनाने, पापड़ बनाने, मिठाई की दुकानें, जैमध्जेली बनाने, छोटी सर्विस फूड स्टॉल और दिन—प्रतिदिन खानपान या कैंटीन सेवाएं, बर्फ बनाने और आइसक्रीम इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज, ब्रेड और बन बनाने, बिस्किट आदि जैसी गतिविधियों को ले जाना चाहता है, मुद्रा योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकता है।

कृषि से संबद्ध गतिविधियाँ, जैसे मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, पशुधन—पालन, एकत्रीकरण कृषि—उद्योग, मत्स्य पालन, डेयरी, खाद्य और कृषि—प्रसंस्करण, कृषि—क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र, आदि और इनका समर्थन करने वाली सेवाएं मुद्रा ऋण के लिए पात्र हैं।

सिरसा जिला की शिशु ऋण श्रेणियां के लाभार्थी

सिरसा जिले में, ''मुद्रा योजना'' के तहत ''शिशु ऋण'' (50,000 तक) के लाभार्थियों में मुख्य रूप से छोटे पैमाने के उद्यमी, रेहड़ी—पटरी वाले, कारीगर और सूक्ष्म व्यवसाय शुरू करने वाले व्यक्ति शामिल हैं। इन ऋणों का उद्देश्य छोटे पैमाने के उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके स्वरोजगार को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

तालिका 2: *सिरसा जिला की शिशु लाभार्थी (50,000 तक के ऋण)*

वर्ष	कुल लाभार्थी		कुल लाभार्थी		महिला लाभार्थी	
	(स्वीकृत खाते)	स्वीकृत राशि (लाख)	(वितरित खाते)	वितरित राशि (लाख)	(स्वीकृत खाते)	स्वीकृत राशि (लाख)
2018—19	22,425	6,150.71	22,154	6,077.36	7,384	2,192.16
2019—20	37,790	10,802.65	37,789	10,716.83	13,169	3,945.44
2020—21	26,330	6,138.27	25,817	5,921.26	8,122	2,019.83
2021—22	22,827	5,880.53	22,747	5,815.37	4,283	1,531.88
2022—23	24,720	6,434.38	24,794	6,393.10	4,179	1,567.70
2023—24	26,771	7,040.41	27,025	7,028.23	4,078	1,604.36

स्रोतः पीएमएमवाई वार्षिक रिपोर्ट

यह तालिका जिला सिरसा में ''शिशु'' श्रेणी के तहत 50,000 तक के ऋण वितरण की स्थिति को दर्शाती है। इसमें 2018—19 से 2023—24 तक के वर्षों के दौरान कुल लाभार्थियों, वितरित खातों, स्वीकृत और वितरित राशि और महिला लाभार्थियों से संबंधित डेटा शामिल है। 2018—19 में, कुल 22,425 लाभार्थियों के लिए 6,150.71 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से 22,154 खातों में 6,077.36 लाख रुपये वितरित किए गए। इसी वर्ष, महिला लाभार्थियों की संख्या 7,384 थी, जिन्हें 2,192.16 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। 2019—20 में कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 37,790 हो गई और 10,802.65 लाख रुपये

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048 9458

स्वीकृत किए गए। वितरित राशि 10,716.83 लाख रुपये थी और महिला लाभार्थियों की संख्या 13,169 तक पहुंच गई, जिन्हें 3,945.44 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। 2020–21 और 2021–22 के दौरान, कुल लाभार्थियों और स्वीकृत राशि में कमी आई। 2021–22 में, कुल 22,827 लाभार्थियों के लिए 5,880.53 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई और 5,815.37 लाख रुपये वितरित किए गए। महिला लाभार्थियों की संख्या घटकर 4,283 रह गई और स्वीकृत राशि 1,531.88 लाख रुपये थी। 2022–23 और 2023–24 में, लाभार्थियों की संख्या और स्वीकृत राशि में वृद्धि देखी गई। 2023–24 में, कुल 26,771 लाभार्थियों को 7,040.41 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से 27,025 खातों में 7,028.23 लाख रुपये वितरित किए गए। महिला लाभार्थियों की संख्या 4,078 थी और स्वीकृत राशि 1,604.36 लाख रुपये थी। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि इस अवधि के दौरान कुल लाभार्थियों और महिला लाभार्थियों के लिए स्वीकृत और वितरित ऋण में उतार–चढ़ाव हुआ। हालांकि, हाल के वर्षों में (2022–23 और 2023–24), ऋण स्वीकृति और वितरण में सुधार हुआ है। यह शिशु योजना के तहत जिले में वित्तीय समावेशन और ऋण पहुंच में प्रगति को दर्शाता है।

तालिका 3 : *SC/ST लाभार्थियों के लिए ऋण स्वीकृति की स्थिति*

वर्ष	अनुसूचित जाति (SC) लाभार्थी		अनुसूचित जनजाति (ST) लाभार्थी		कुल SC/ST लाभार्थी	
	स्वीकृत खाते	स्वीकृत राशि (लाख)	स्वीकृत खाते	स्वीकृत राशि (लाख)	स्वीकृत खाते	स्वीकृत राशि
2018–19	16,663	4,540.19	818	203.13	17,481	4,743.32
2019–20	24,955	7,021.42	1,425	390.22	26,380	7,411.64
2020–21	18,436	4,243.46	754	171.75	19,190	4,415.21
2021–22	17,309	4,402.83	627	143.55	17,936	4,546.38
2022–23	18,320	4,679.35	648	152.97	18,968	4,832.32
2023–24	19,390	4,973.25	670	163.01	20,060	5,136.26

स्रोतः पीएमएमवाई वार्षिक रिपोर्ट

यह तालिका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 2018–19 से 2023–24 के बीच स्वीकृत खातों और राशि का विवरण प्रदान करती है। इसमें SC और ST लाभार्थियों के लिए स्वीकृत खातों की संख्या और उनकी स्वीकृत राशि के साथ–साथ कुल SC/ST लाभार्थियों के आंकड़े शामिल हैं। 2018–19 में अनुसूचित जाति के 16,663 लाभार्थियों को 4,540.19 लाख और अनुसूचित जनजाति के 818 लाभार्थियों को 203.13 लाख स्वीकृत किए गए। कुल मिलाकर, 17,481 लाभार्थियों को 4,743.32 लाख की राशि स्वीकृत

IJARMT

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048 9458

की गई। 2019–20 में यह संख्या और स्वीकृत राशि दोनों में वृद्धि हुई। SC लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 24,955 और राशि 7,021.42 लाख हो गई, जबकि ST लाभार्थियों की संख्या 1,425 और राशि 390.22 लाख थी। इस वर्ष कुल 26,380 लाभार्थियों को 7,411.64 लाख की राशि स्वीकृत की गई। 2020–21 में लाभार्थियों की संख्या में कमी देखी गई। SC लाभार्थियों के लिए 18,436 खाते और 4,243.46 लाख स्वीकृत किए गए, जबकि ST लाभार्थियों के लिए 754 खाते और 171.75 लाख स्वीकृत हुए। कुल 19,190 खातों के लिए 4,415.21 लाख की राशि स्वीकृत की गई। 2021–22 और 2022–23 में लाभार्थियों की संख्या और स्वीकृत राशि में मामूली उतार–चढ़ाव देखा गया। 2022–23 में SC श्रेणी में 18,320 लाभार्थियों को 4,679. 35 लाख और ST श्रेणी में 648 लाभार्थियों को 152.97 लाख स्वीकृत किए गए। इस वर्ष कुल 18,968 खातों को 4,832.32 लाख की राशि स्वीकृत की गई। 2023–24 में लाभार्थियों की संख्या और स्वीकृत राशि में फिर से वृद्धि हुई। SC श्रेणी के लिए 19,390 खाते और 4,973.25 लाख, जबकि ST श्रेणी के लिए 670 खाते और 163.01 लाख स्वीकृत किए गए। कुल मिलाकर, 20,060 लाभार्थियों को 5,136.26 लाख की राशि स्वीकृत की गई। इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि SC/ST लाभार्थियों के लिए वित्तीय सहायता के अंतर्गत स्वीकृत ऋण की संख्या और राशि में समय के साथ बदलाव हुए हैं। यह योजना इन वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सिरसा जिला की किशोर ऋण श्रेणियां के लाभार्थी

सिरसा जिले में, ''मुद्रा योजना'' के तहत ''किशोर ऋण'' (50,001 से 5,00,000) के लाभार्थियों में छोटे व्यवसाय के मालिक, खुदरा विक्रेता और सेवा प्रदाता शामिल हैं जो अपने मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करना चाहते हैं। ये ऋण परिचालन को बढ़ाने, उपकरण खरीदने या बुनियादी ढांचे को उन्नत करने, जिले में विकास और रोजगार को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

तालिका 4: *सिरसा जिला की किशोर लाभार्थी (50,000 से 5 लाख तक के ऋण)*

वर्ष	कुल लाभार्थी		कुल लाभार्थी		महिला लाभार्थी	
	स्वीकृत खाते	स्वीकृत राशि (लाख)	वितरित खाते	वितरित राशि (लाख)	स्वीकृत खाते	स्वीकृत राशि (लाख)
2018–19	1,697	3,008.92	1,587	2,483.81	358	494.46
2019–20	6,083	8,987.51	6,078	8,464.55	730	925.11
2020–21	5,212	6,870.22	4,763	5,814.71	926	1,059.20
2021–22	6,130	7,219.60	5,945	6,687.06	627	704.77
2022–23	7,152	7,585.62	6,821	7,211.54	756	863.33

2023–24	7,824	8,065.65	7,523	7,786.23	755	857.65

स्रोतः पीएमएमवाई वार्षिक रिपोर्ट

यह तालिका ''किशोर'' योजना के तहत 50,000 से 5 लाख तक के ऋणों के स्वीकृति और वितरण का विवरण 2018–19 से 2023–24 तक प्रस्तुत करती है। इसमें कुल लाभार्थियों और महिला लाभार्थियों के लिए स्वीकृत और वितरित खातों की संख्या और राशि को दर्शाया गया है। 2018–19 में, योजना के तहत कुल 1,697 खातों को 3,008.92 लाख की राशि स्वीकृत की गई और 1,587 खातों में 2,483.81 लाख वितरित किए गए। महिला लाभार्थियों की संख्या 358 थी, जिन्हें 494.46 लाख की राशि स्वीकृत की गई। 2019–20 में, लाभार्थियों की संख्या और स्वीकृत राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जहां 6,083 खातों को 8,987.51 लाख की राशि स्वीकृत की गई और 6,078 खातों में 8,464.55 लाख वितरित हुए। महिला लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 730 हो गई और उनके लिए 925.11 लाख की राशि स्वीकृत की गई। 2020–21 में, लाभार्थियों की संख्या में कुछ कमी आई, जहां कुल 5,212 खातों को 6,870.22 लाख की राशि स्वीकृत की गई और 4,763 खातों में 5,814.71 लाख वितरित किए गए। हालांकि, महिला लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 926 हो गई, जो इस अवधि में अब तक की सबसे अधिक संख्या थी और 1,059.20 लाख की राशि स्वीकृत की गई। 2021–22 से 2023–24 तक, लाभार्थियों की संख्या और स्वीकृत राशि में स्थिर वृद्धि दर्ज की गई। 2023–24 में, 7,824 खातों को 8,065.65 लाख की राशि स्वीकृत की गई और 7,523 खातों में 7,786.23 लाख वितरित किए गए। महिला लाभार्थियों की संख्या 755 थी, जिन्हें 857.65 लाख की राशि स्वीकृत की गई। कुल मिलाकर, यह तालिका दर्शाती है कि किशोर योजना ने छोटे और मध्यम आकार के ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला लाभार्थियों को दिए गए ऋण की संख्या और राशि में निरंतर वृद्धि इस योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण की ओर किए गए प्रयासों को उजागर करती है।

निष्कर्ष :

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। 2015 में शुरू की गई यह योजना छोटे व्यवसायों, स्वरोजगार और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करती है। सिरसा जिला, हरियाणा का एक प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां पर कई छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार के अवसर विद्यमान हैं। इस जिले में योजना के मूल्यांकन की आवश्यकता इसलिए अधिक है क्योंकि यह समझना जरूरी है कि योजना से स्थानीय उद्यमियों, महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों को किस हद तक लाभ मिला है और उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ है। यह अध्ययन इस बात पर केंद्रित है कि सिरसा जिले में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वितरित किए गए

ऋण का वास्तविक प्रभाव क्या रहा है। यह देखा जाएगा कि इस योजना ने नए व्यवसाय शुरू करने, छोटे उद्योगों का विस्तार करने और स्थानीय रोजगार बढ़ाने में कितना योगदान दिया है। साथ ही, यह जानने की कोशिश की जाएगी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योजना की पहुंच और प्रभाव में क्या अंतर है। इसके अलावा, यह भी जांचा जाएगा कि क्या महिलाओं और युवाओं ने इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके अपने स्वरोजगार और उद्यमिता को मजबूत किया है। विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मुद्रा योजना ने लाभार्थियों की औसत आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। छोटे दुकानदारों, कारीगरों, महिला उद्यमियों तथा सेवा–क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस योजना से सीधा लाभ पहुँचा। इसके अतिरिक्त, योजना ने सीमित स्तर पर रोजगार सृजन में भी योगदान दिया। अनेक लाभार्थियों ने अपने व्यवसाय का विस्तार कर अतिरिक्त श्रमिकों को नियुक्त किया। महिलाओं के बीच इस योजना ने आत्मनिर्भरता और निर्णय–क्षमता को प्रोत्साहित किया, जिससे उनके सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। हालाँकि, कुछ चुनौतियाँ भी सामने आईं। ऋण वितरण प्रक्रिया में देरी, आवेदन प्रक्रिया की जटिलता, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रमों का अभाव और विपणन सहायता की कमी जैसे मुद्दों ने योजना की प्रभावशीलता को सीमित किया। कई लाभार्थियों ने यह भी महसूस किया कि केवल ऋण उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं हैय उन्हें व्यवसाय प्रबंधन, तकनीकी सहयोग और बाजार तक पहुँच के अवसर भी मिलना चाहिए। कुल मिलाकर, सिरसा जिले में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। इसने आय वृद्धि और रोजगार सृजन में भूमिका निभाई है, परंतु इसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग तभी संभव है जब इसे प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और विपणन नेटवर्क से जोड़ा जाए। यह शोध दर्शाता है कि योजना भविष्य में ग्रामीण और अर्ध–शहरी अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत विकास उपकरण बन सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचिः

1. भारतीय रिजर्व बैंक, (2017), मुद्राः छोटे उद्यमों के माध्यम से वित्तीय समावेशन, *आरबीआई बुलेटिन, 71(8), पृ.संख्या 24–28*
2. दास, एस, (2019), मुद्रा योजना के तहत रोजगार सृजन का मूल्यांकन, *इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू, 54(2), पृ.संख्या 112–130*
3. दास, एस, (2019), मुद्रा योजना के तहत रोजगार सृजन का मूल्यांकन, *इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू, 54(2), पृ.संख्या 112–130*
4. चक्रवर्ती, ए., और दत्ता, पी, (2023), ग्रामीण गैर–कृषि रोजगार पर पीएमएमवाई का प्रभाव, *इंडियन जर्नल ऑफ रूरल स्टडीज, 16(4), पृ.संख्या 123–138*
5. शर्मा, ए, (2020), महिला सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की भूमिका, *जर्नल ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी, 12(4), पृ.संख्या 89–101*

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048 9458

6. आर्थिक विकास संस्थान, (2019), प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाः भारत के ग्रामीण विकास पर प्रभाव, *आर्थिक विकास जर्नल, 17(4), पृ.संख्या 98–112*
7. जोशी, पी. (2020), मुद्रा योजना और महिला उद्यमिता का विकास, *महिला सशक्तिकरण अध्ययन, 13(5), पृ.संख्या 45–60*
8. वर्मा, आर. (2023), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों के अनुभवः एक क्षेत्रीय अध्ययन, *इंडियन पॉलिसी एंड प्लानिंग जर्नल, 19(2), पृ.संख्या 54–68*
9. भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, (2022–23), *मुद्रा योजनाः एमएसएमई इकोसिस्टम को सशक्त बनाना,* भारत सरकार, पृ.संख्या 142.